



Neutral Citation No. - 2026: AHC:33929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26/2026

ऋषभ कुशवाहा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: भावेश सिंह जादौन, सत्य धीर सिंह जादौन

विपक्षी के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. सूची संशोधित की गई। कार्यालय ने अपनी दिनांक 13.02.2026 की रिपोर्ट में बताया है कि मामले के प्रथम सूचनाकर्ता को जारी किया गया नोटिस तामील कर दिया गया है, जबकि कानपुर नगर बाल कल्याण समिति को भी नोटिस तामील कर दिया गया है। नोटिस तामील होने के बावजूद, सूचनाकर्ता, बाल कल्याण समिति और उच्च न्यायालय की विधिक सेवाओं में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने विवाह का झांसा देकर सूचनाकर्ता की पोती के साथ शारीरिक संबंध

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्थापित किए। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि 01.02.2025 को आवेदक ने शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि घटना 01.02.2025 को घटित हुई बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 09.07.2025 को अभिलिखित की गई थी इस देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथन में कहा है कि आवेदक शादी के लिए तैयार था लेकिन परिवार के सदस्य तैयार नहीं थे, जिसके कारण उसके विरुद्ध मामला अभिलिखित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि पीड़िता की 10.07.2025 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि वह 22 सप्ताह की गर्भवती थी जिससे संभाव्यता के आधार पर गर्भधारण कथित तिथि 01.02.2025 से बहुत पहले हुआ होगा। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं लेकिन बच्चे के जैविक पितृत्व को स्थापित करने के लिए कोई डीएनए या एफएसएल नहीं की गई है, इसलिए वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में, अभियोजन पक्ष का मामला निराधार है। अतः यह तर्क दिया गया कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण आशय से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कई अन्य तर्कों को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुपालन में सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 11.07.2025 से जेल में है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय विचारण से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों की प्रकृति और मामले से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक **ऋषभ कुशवाहा**, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 351(2) और पाक्सो अधिनियम 2012 की धारा 5(जे)(ii), 5एल, 6 के अन्तर्गत मामला संख्या 68 सन् 2025 में आरोपी है, थाना चमनगंज, जिला कानपुर नगर, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो स्थानीय भारी जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए:-

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16 फरवरी, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"